

कार्यालय नगरपालिका परिषद शिवपुरी, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

पत्र क्रमांक/न.पा.प./डे-एनयूएलएम/टी.अ.र.यो.-II/2020-21/1801 (NULM)

शिवपुरी दिनांक - 11/11/2020

// संस्था चयन हेतु विज्ञप्ति //

शहरी क्षेत्रांतर्गत दीनदयाल अन्वयोदय रसोई योजना द्वितीय चरण वर्ष 2020 अंतर्गत दीनदयाल रसोई केंद्र संचालन हेतु स्वयंसेवी अशासकीय संस्थाएँ "जिनका मूल उद्देश्य समाज सेवा है" से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। जिनकी अर्हताएँ निम्नानुसार है।:-

1. ऐसी स्वयंसेवी अशासकीय संस्थाएँ जिनका मूल उद्देश्य समाजसेवा है और यह स्वेच्छा से दीनदयाल अन्वयोदय रसोई योजना के क्रियान्वयन से जुड़ना चाहती है।
2. संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन पका कर गर्म ताजा वितरित करने का कम से कम निर्धारित वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था क्रियाशील होकर उसका पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है।
4. संस्था का विगत पांच वर्ष का चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा आडिट किया गया हो। जिसकी आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संस्था का टर्न ओवर न्यूनतम 25 लाख से कम का न हो। टर्नओवर के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जावेगा। (तकनीकी निविदा में प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
5. संस्था को पूर्व में ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया हो। ऐसा वचन पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी निविदा में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. संस्था को दीनदयाल अन्वयोदय रसोई योजना संचालन के निर्देशों व नियमों का ज्ञान भली भाँति होना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा में स्वप्रमाण पत्र अथवा समान क्षेत्र में योजना के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तरीय समिति द्वारा अंक प्रदान किये जावेंगे। इस प्रकार अर्जित अंको में उच्चतम प्राप्त अंक वाली संस्था का चयन किया जाकर पात्र संस्था को कार्यदेश जारी किया जावेगा।
8. संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि वह शासन से समय पर अनुदान प्राप्त नहीं होने पर भी कम से कम तीन से पांच माह तक दीनदयाल अन्वयोदय रसोई योजना का संचालन करने में सक्षम हो।
9. जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति संस्था के चयन हेतु उपरोक्त शर्तों में जिले की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक फेरबदल कर सकते हैं।
10. विस्तृत जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT की वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर एवं नगरपालिका कार्यालय की डे-एनयूएलएम शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
11. कार्य हेतु निविदा प्रपत्र की लागत 1000 रुपये नगद जमा एवं संस्था चयन उपरांत अनुबंध संपादित होने के साथ अमानत राशि 10000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, शिवपुरी के नाम से देय होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अर्हताधारी संस्थाएँ अपना प्रस्ताव दिनांक 23/11/2020 को सायं 05 बजे तक कार्यालय नगरपालिका परिषद शिवपुरी में प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद शिवपुरी
शिवपुरी दिनांक- 11/11/2020

पृष्ठा क्रमांक/न.पा.प./ डे-एनयूएलएम/टी.अ.र.यो.-II/2020-21/1802 (NULM)
प्रतिनिधि-

1. मिशन संचालक DAY-NULM नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल की ओर सादर सूचनाएँ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनाएँ।
3. श्री अंशुम सिंह, वेब कन्टेंट मैनेजर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल की विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
4. दैनिक समाचार पत्र ~~परिषद शिवपुरी के प्रमुख दरख्त-प्रमुख स्टेस~~ में प्रकाशन हेतु।

NIT यूपीए
51
13-11-2020

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद शिवपुरी